

**जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर**  
(राजस्व शाखा)

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर के अंतर्गत पिपला (एन0एच0-33 पर) घोड़ाबन्धा-गोविन्दपुर-अन्ना चौक तक सड़क निर्माण हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक- 1454/रा0, दिनांक- 25.6.2018 के द्वारा निर्गत अनापत्ति को संशोधित करते हुए जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के प्रतिवेदन एवं जिला कल्याण कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के Memo No 1182/2018, dt-25.6.2018 के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 1817/रा0, दिनांक- 30.04.2015 के आलोक में "गैर मजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, सखुआ जंगल इत्यादि) भूमि जो जिला- पूर्वी सिंहभूम, अंचल- जमशेदपुर, मौजा- कस्तुलिया, थाना संख्या- 1206,, प्लॉट संख्या- 213, रकवा- 0.217 एकड़ एवं प्लॉट नं0-118, रकवा- 0.718 एकड़, किस्म भूमि- जंगल-झाड़ी में कुल रकवा- 0.935 एकड़ में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायगा। गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा"।

६०/-

उपायुक्त,


पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक - 2624 /रा0, जमशेदपुर, दिनांक - 01 वीं अक्टूबर 2018 ई0

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर को उनके पत्रांक- 2674, दिनांक- 26.10.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उपायुक्त, 31.10.18

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।